HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Application No. 2/2026
IN
S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 4430/2026

Vijay Goyal S/o Shri Harish Chandra Goyal, Aged About 69 Years, R/o Plot No. 11, Gopal Nagar-A, Gopalpura Bypass, Jaipur Rajasthan. (Presently The Accused Petitioner is Confined in Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

Central Bureau of Investigation, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. P.C. Sharma, Adv. Ms. Arpita Joshi, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Pradeep Kumar, SPP CBI

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

1.	**Arguments Concluded On:**	**21/04/2026**
2.	**Order Reserved On:**	**21/04/2026**
3.	**Full Order/Operative Part Pronounced:**	**Full Order**
4.	**Pronounced On:**	**23/04/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसे आदेश दिनांक 30.03.2026 द्वारा प्रदत्त अंतरिम जमानत की अवधि में वृद्धि किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र संख्या 2/2026 अंतर्गत धारा 528 सपठित धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसकी ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 4430/2026, पुलिस थाना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या

RC 030 2025 A 0015 अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7A, 8, 9, 10 एवं 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने पूर्व में अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1/2026 प्रस्तुत किया था, उक्त प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.03.2026 के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा होने की दिनांक से 25 दिवस हेतु अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त के पिता 93 वर्षीय हैं, वे प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं, कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल चुका है, चिकित्सक की रिपोर्ट के अनुसार उनकी स्थिति गंभीर है। ऐसी गंभीर बीमारी में प्रार्थी/अभियुक्त के पिता की निरंतर देखभाल की जानी है। इस संबंध में चिकित्सक ने दिनांक 15.04.2026 को अपनी रिपोर्ट दी है तथा जो एक्स–रे लिये गये हैं, उनके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के पिता के शरीर के संपूर्ण भाग में कैंसर फैल चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के पिता जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, प्रार्थी उनका एकमात्र पुत्र है, जो उनकी देखभाल कर रहा है, उसके पिता अपने संपूर्ण जीवनकाल में उसके पास ही रहे हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के अतिरिक्त उसके पिता की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं है। न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 30.03.2026 को अंतरिम जमानत का लाभ दिये जाने के पश्चात से लगातार प्रार्थी/अभियुक्त अस्पताल में अपने पिता की देखभाल कर रहा है तथा उसके द्वारा अंतरिम जमानत आदेश में अंकित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं 69 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है, उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणों में अभियुक्त के पिता के स्वास्थ्य के कारण अथवा परिवार में अन्य व्यक्तियों की बीमारी के आधार पर

पूर्व में पारित अंतरिम जमानत की अवधि में अभिवृद्धि की है। प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई में नहीं आ रहा है, ऐसे में उसके पिता की स्थिति गंभीर होने व जीवन के अंतिम पड़ाव पर होने के कारण यह अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई में आने की स्थिति में उसकी ओर से बहस कर ली जावेगी। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों की पालना करने को तैयार एवं तत्पर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को आदेश दिनांक 30.03.2026 के माध्यम से प्रदत्त अंतरिम जमानत की सुविधा में 30 दिवस की अभिवृद्धि की जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत कियेः–

1. Farhan Abdul Malik Khot Vs. State of Maharashtra; Criminal Appeal No. 1666/2017; Order Dated 15.09.2017
2. Sukhwant Singh & Ors. Vs. State of Punjab; 2009 (7) SCC 559
3. Mohd. Tahir Hussain Vs. State of NCT of Delhi; Special Leave Petition (Criminal) No. 856/2025; Judgment Dated 22.01.2025
4. Lovee Narula Vs. Directorate of Enforcement; Bail Appl. No. 1937/2025; Order Dated. 09.06.2025

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से नियमित जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.02.2026 के माध्यम से अस्वीकार कर खारिज किया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र लंबित है, उसमें प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा बहस नहीं की जा रही है, बल्कि पूर्व में जो अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था, उसमें अभिवृद्धि हेतु प्रार्थना की जा रही है। प्रार्थी/अभियुक्त के पिता अस्पताल में भर्ती हों, यह

तथ्य स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की अस्पताल में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यह अभिनिर्धारित किया है कि आपवादिक परिस्थितियों के अतिरिक्त बार–बार रूटीन मैनर में अंतरिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। प्रार्थी/अभियुक्त ने यह तथ्य गलत रखा है कि अपने पिता की वह ही एकमात्र संतान हो, जबकि उसका भाई, पत्नी व पुत्र–पुत्रियां उसके पिता की देखभाल करने में सक्षम हैं। न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग करने हेतु प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत कियाः–

1. Asim Mallik Vs. State of Odisha; 2025 SCC OnLine SC 3036

मैंने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.03.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1/2026 उसके पिता के प्रोस्टेट कैंसर होने, उनकी उम्र 93 वर्ष होने व उनके अस्पताल में भर्ती होकर अन्य बीमारियों से ग्रसित होने तथा मानवीय दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को 25 दिवस की अंतरिम जमानत का लाभ दिया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से सी.के. बिरला अस्पताल के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त केस समरी दिनांकित 15.04.2026 एनेक्चर–1 के रूप में प्रस्तुत की गयी है, जिसमें संबंधित चिकित्सक ने यह उल्लेखित किया है किः–

> *"The patient's condition is critical with evidence of metastatic progression involving the bones, spine, and other parts of the body.*

The disease is advanced and rapidly progressing, requiring continuous supportive and palliative care.

Considering the advanced age of the patient and multiple comorbidities, chemotherapy has not been advised. The patient requires 24-hour personal care by family members and Hospital support as required."

Farhan Abdul Malik Khot Vs. State of Maharashtra; Criminal Appeal No. 1666/2017; Order Dated 15.09.2017 विनिश्चय के पैरा संख्या 6 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है किः–

"6. By order dated 8th May, 2017 we had allowed the accused appellant to remain on interim bail to look after his mother who is suffering from an advanced stage of cancer. From time to time we have extended the aforesaid order of interim bail permitting the accused appellant to lay before the Court documentary evidence showing the present health condition of his mother. By the previous order of this Court dated 11th September, 2017 passed in the present matter we had required the learned State Counsel to verify the correctness of the medical reports and certificates brought on record by the accused appellant. The same has been verified and an affidavit has been filed on behalf of the State to the effect that the mother of the accused appellant is, indeed, suffering from the disease which is at an advanced stage and apart from palliative care no treatment/therapy is possible."

इसी प्रकार Sukhwant Singh & Ors. Vs. State of Punjab; 2009 (7) SCC 559 विनिश्चय के पैरा संख्या 3 व 4 में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह मत रहा है किः–

"3. We are not inclined to interfere with the impugned judgment and order. However, following the decision of this Court in the case of Kamlendra Pratap Singh v. State of U.P. & Ors., 2009(3) RCR (Criminal) 401 : 2009 (4) RAJ 151: 2009(4) SCALE 77, we reiterate that a Court hearing a regular bail

application has got inherent power to grant interim bail pending final disposal of the bail application. In our opinion, this is the proper view in view of Article 21 of the Constitution of India which protects the life and liberty of every person. When a person applies for regular bail then the court concerned ordinarily lists that application after a few days so that it can look into the case diary which has to be obtained from the police authorities and in the meantime the applicant has to go to jail. Even if the applicant is released on bail thereafter, his reputation may be tarnished irreparably in society. The reputation of a person is his valuable asset, and is a facet of his right under Article 21 of the Constitution vide Deepak Bajaj v. State of Maharashtra & Anr., 2008(4) RCR (Criminal) 961: 2008(6) RAJ 357: JT 2008(11) SC 609.

4. Hence, we are of the opinion that in the power to grant bail there is inherent power in the court concerned to grant interim bail to a person pending final disposal of the bail application. Of course, it is in the discretion of the court concerned to grant interim bail or not but the power is certainly there."

प्रार्थी/अभियुक्त के पिता का 93 वर्षीय होना, प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होना बताया गया है तथा शरीर के संपूर्ण भाग में कैंसर फैलने का तथ्य चिकित्सकीय रिपोर्ट दिनांक 15.04.2026 में आया है। चिकित्सक ने उसके पारिवारिक सदस्यों की 24 घंटे प्रार्थी/अभियुक्त के पिता की देखभाल करने और अस्पताल में सहयोग किये जाने की आवश्यकता बताई है। प्रार्थी/अभियुक्त के पिता का उसके पास पूर्व से ही रहना और उसके द्वारा अपने पिता की देखभाल किया जाना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके पिता का जीवन के अंतिम पड़ाव में रहना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत विनिश्चयों के आधार पर युक्तियुक्त कारण होने पर पूर्व में प्रदत्त अंतरिम जमानत सुविधा की अवधि में अभिवृद्धि की जा सकती है।

फरहान अब्दुल मलिक (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त की माता के अंतिम स्तर का कैंसर होने के आधार पर समय–समय पर अभियुक्त की अंतरिम जमानत की अवधि में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभिवृद्धि किया जाना उचित माना है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से संबंधित जो चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के 93 वर्षीय पिता के प्रोस्टेट कैंसर है और कैंसर शरीर के संपूर्ण भाग में फैल चुका है, उसके पिता की स्थिति गंभीर है तथा उनकी व्यक्तिगत देखभाल की जाती है। प्रार्थी/अभियुक्त के अतिरिक्त उसका भाई, पत्नी या पुत्र–पुत्रियां उसके पिता की देखभाल कर रहे हों, इस संबंध में विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त के 93 वर्षीय पिता के शरीर के संपूर्ण भाग में कैंसर फैलने से उनकी स्थिति गंभीर होने, उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर होने, अस्पताल में उनकी देखभाल के लिए आवश्यकता होने व मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रदत्त अंतरिम जमानत सुविधा की अवधि में 20 दिवस की वृद्धि किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **विजय गोयल पुत्र हरीश चंद्र गोयल** की ओर से इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.03.2026 के माध्यम से पूर्व में प्रदत्त अंतरिम जमानत की अवधि में अभिवृद्धि करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद एक लाख रूपये का बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानतें इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे कि वह अन्तरिम जमानत अवधि के दौरान शांति व

सद्व्यवहार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा प्रार्थी/अभियुक्त को पूर्व में पारित आदेश दिनांक 30.03.2026 के अनुसार संबंधित कारागृह में समर्पित करने की दिनांक से 20 दिवस पश्चात नियत दिनांक को संबंधित कारागृह में स्वयं उपस्थित होकर समर्पण कर देगा तो प्रार्थी/अभियुक्त को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जावे। आदेश दिनांक 30.03.2026 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक समर्पण नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक समर्पण करने/नहीं करने के संबंध में संबंधित कारागृह के सक्षम अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय/इस न्यायालय को अविलम्ब सूचित किया जाएगा।

प्रार्थी/अभियुक्त से यह अपेक्षा की जाती है कि उसकी ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई में आने पर आवश्यक रूप से बहस करे और बिना किसी आपवादिक परिस्थितियों के रूटीन में बार–बार अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करे।

तद्नुसार यह आपराधिक विविध प्रार्थना पत्र संख्या 2/2026 निस्तारित किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /Res.